न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 49/14 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2014/00145

उनवान

1. उदयभान सिंह (मृतक)

1/1 बृजभानसिंह पुत्र उदयभान सिंह
1/2 सरलासिंह पत्नी उदयभान सिंह
} जाति गुर्जर निवासी अटलबंद गेट भरतपुर, तहसील व जिला भरतपुर (राज.)

.....अपीलार्थी

बनाम

1. हरीसिंह पुत्र दौलतसिंह जाति गुर्जर निवासी चक एक्टा तहसील व जिला भरतपुर।
2. रमन पुत्र श्रीधर, जाति गुर्जर निवासी बन्जी तहसील व जिला भरतपुर।

.....असल प्रतिवादी

3. अलकासिंह
4. अर्चनासिंह
5. अम्रतासिंह

} पुत्रीयान उदयभान सिंह, जाति गुर्जर निवासी अटलबंद गेट भरतपुर, तहसील व जिला भरतपुर (राज.)

.....तरतीवी प्रतिवादीगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 56/2003 बउनवानी उदयभान सिंह बनाम हरीसिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.01.2014 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 08.05.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा मु.स. 56/2003 बउनवानी उदयभान सिंह बनाम हरीसिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.01.2014, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया था कि गत आराजी खसरा नंबर 54/0.04, 58 मिन/1.18, 59 मिन/1.17, 60/7.14 किता 4 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा स्थित ग्रांम चक अजान को 1/3 हिस्सा पर तथा गत आराजी खसरा नंबर 213/22, 26, 27, 36 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा स्थित ग्रांम चक एक्टा के समस्त रकबे तहसील व जिला भरतपुर पर वादी खातेदार कृषक है। प्रतिवादी हरीसिंह ने वादी के कारिन्दा धनीराम से मिलकर गांव चक अजान की भूमि पर दाखिला खारिज संख्या 726 से वादी के नाम को कलमजन करा अपना नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करा लिया। इसी प्रकार ग्रांम चक अजान की वादग्रस्त भूमि पर दाखिला खारिज संख्या 91 आदेश दिनांक 24.02.64 द्वारा राजस्व अभिलेख में

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अंकन करा लिया। इसलिए वादी ने दावा पेश कर प्रार्थना की गई कि दाखिला खारिज संख्या 726 व 91 को वादी के विरूद्ध प्रभावहीन व शून्य घोषित कर वादग्रस्त आराजी पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से भी पाबंद किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन से तलब किया गया। जिसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.01.2014 को उक्त प्रकरण में निर्णय पारित कर वादीगण का वाद खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री महाराज सिंह डागुर ने वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं रेस्पोडेन्ट बाबजूद तामील अनुपस्थित रहें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।
4. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गयी।
5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी/वादी गत आराजी खसरा नम्बरान 54/0.04, 58 मिन/1.18, 59 मिन/1.17, 60/7.14 किता 4 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम चक अजान तहसील भरतपुर के 1/3 हिस्सा के एवं खसरा नम्बर 213/22, 26, 27, 36/5–7 वाके ग्राम चक एक्टा तहसील भरतपुर के समस्त के खातेदार काश्तकार काबिज हैं उत्तरवादी का इस आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है उनके नाम इन्द्राज खातेदार हो गया है निरस्नीय अधीनस्थ न्यायालय ने दावा अपीलार्थी/वादीगण खारिज करने में भारी त्रुटि की है। अपीलार्थी/वादी का धनीराम पुत्र रतनसिंह, मौसी का लडका रहा है और उनका कारिन्दा रहा है उसने राजस्व कर्मचारियों से साज करके इस आराजी पर नाजायज नामान्तरकरण संख्या 726 आराजी ग्राम चक अजान पर व नामान्तरकरण संख्या 91 के द्वारा ग्राम चक ऐक्टा की भूमि पर प्रतिवादी हरीसिंह के नाम इन्द्राज खातेदार करा लिये है और वाद को दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 1 ने दो को हस्तान्तरण कर दिया है। जबकि उक्त उत्तरवादी संख्या 1 व 2 का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है और न्यायालय गलत इन्द्राजों पर निर्णय कर तनकी संख्या 1,2 व 3 का निर्णय अपीलार्थी/वादी के विरूद्ध करने में भारी भूल की है। अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी सम्बत 2013–16 प्रर्श–1, नकल खसरा गिरदावरी संबत 2021 से 2025 प्रदर्श–2. नकल खसरा गिरदावरी सम्बत 2017 से 2021 प्रदर्श–3. नकल खसरा गिरदावरी सम्बत 2026 से 2029 प्रदर्श–4 व नकल खसरा गिरदावरी सम्बत 2019 से 2021 प्रदर्श–5–6 से वादी का प्रकरण पूर्णतया साबित है अधीनस्थ न्यायालय ने दावा अपीलार्थी/वादी खारिज करने में भारी त्रुटि की है। अपीलार्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय लिखित तर्को के साथ भी राजस्व अभिलेख खसरा गिरदावरी पेश की है तथा कुरा वटवारा व निर्णय/डिक्री न्यायालय अपर जिला न्यायालय संख्या 1 भरतपुर दिनांक 30.08.1999 व 31.10.2012 प्रस्तुत किये हैं जिनमें अपीलार्थी/वादी का प्रकरण भली भांति प्रमाणित है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय बिना किसी ठोस कारण के दावा वादी खारिज करने का निर्णय दिया है और एक गम्भीर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना कि वादी ने नये खसरा नम्बर को दावे में नहीं जोडा है तथा अन्य हिस्सेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है व जमाबंदी व मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किये हैं केवल खसरा गिरदावरी ही पेश की है जो अधिकार अभिलेख नहीं है जोकि गलत है अनावश्यक पक्षकारों को जोडने की कोई आवश्यकता नहीं है तथा नये नम्बरान के सम्बन्ध में जमाबंदी हाल पेश करायी जा सकती थीं। अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना भी कतई गलत है कि नामान्तरण स्वीकृत किये काफी समय हो गया है 25 वर्ष वाद दावा

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

पेश किया है वादी का कब्जा प्रमाणित नहीं है यह सभी बाते तो प्रतिवादी को सावित करनी है कि वह बिना किसी आदेश के आराजी पर कब्जे में कैसे कब आया। अधीनस्थ न्यायालय ने गलत एवं आरम्भ से ही शून्य खातेदार की प्रविष्टियों पर भरोसा कर खण्डनीय निर्णय पारित करने में भारी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय न्यायालय ने अपर जिला एव सैशन न्यायाधीश संख्या 1 भरतपुर दिनांक 30.08.1999 एवं डिक्री दिनांक 31.10.2012 को गलत व्याख्या की गयी है क्योंकि कोर्ट आफ वार्डस एक्ट के तहत कब्जे में ली गयी सम्पत्ति में विवादित आराजी भी रही है जिसे न्यायालय ने कोर्ट आफ वार्ड से मुक्त किये जाने का आदेश दिया है इस प्रकार यह आराजी कभी प्रतिवादी के कब्जे में ही नहीं रहीं है और कोर्ट आफ वाडर्स के निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना कि उसके लिये वादी को प्रतिवादी से कब्जा लेने हेतु पृथक से कार्यवाही करनी पड़ेगी कतई गलत है जबकि प्रतिवादी के पास कब्जा काश्त ही नहीं है तो उनके विरूद्ध कब्जा वापिस लेने की कार्यवाही करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री कतई गलत व निरस्तनीय है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर निर्णय व डिक्री अधीरस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर भरतपुर दिनांक 20.01.2014 निरस्त किये जावे तथा दावा वादी/अपीलार्थी स्वीकार किया जावे उत्तरवादी/प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णय किया जावे।

6. अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.01.2014 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 21.03.2014 को पेश की गई है, जो अन्दर मियाद है।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण के दावा व प्रतिवादीगण के जबाबदावा के आधार पर वाद में निम्न तनकीयात कायम की गई।

तनकी सं. 1 :– आया वादी खण्ड संख्या 1 वादपत्र में वर्णित आराजी का 1/3 हिस्से का तथा खण्ड संख्या 2 वादपत्र में वर्णित आराजी का समस्त का खातेदार कृषक काबिज है? तथा इस आशय की घोषणा करने का अधिकारी है? .....वादी

तनकी सं. 2 :– आया नामान्तरण संख्या 726 व 91 वर्णित खण्ड संख्या 3 वादपत्र वादी के विरूद्ध शून्य एवं प्रभावहीन है? .....वादी

तनकी सं. 3 :– आया वादी विरूद्ध प्रतिवादी के स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है? .....वादी

तनकी सं. 4 :– आया जबाब दावा के खण्ड संख्या 9–10 के अनुसार दावा वादी चलने योग्य नहीं है? .....प्रतिवादी

तनकी सं. 5 :– आया दावा वादी अवधि बाहर है? .....प्रतिवादी

तनकी सं. 6 :– अनुतोष क्या होगा?

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 1 के संबंध में निम्न निर्णय पारित किया है :–

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

वादी ने दावा गत खसरा नंबरों से पेश किया है। प्रतिप्रेषण के पश्चात वादी को हाल सैटिलमैन्ट सम्वत 2043 में बने नवीन खसरा नंबरों के आधार पर संशोधित दावा पेश करना था, जो उसके द्वारा पेश नहीं किया गया है। हाल जमाबंदी में अंकित खातेदारों को पक्षकार बनाकर संशोधित दावा पेश नहीं है। नकल मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत खसरा नंबर 58/3.02, 59/3.01, 60/12.17 से हाल खसरा नंबर 121/2.62 है० बना है। दावा में गत खसरा नंबर 58/1.18, 59/1.17. 60/7.14 दर्ज है। गत खसरा नंबर 54 व अन्य से हाल खसरा नंबर 117/2.43 है0 बना है। नकल जमाबंदी सम्वत 2062–65 के अनुसार हाल खसरा नंबर 117 व 117/154 पर कुवरसिंह पुत्र शिचरन जाति गूजर एवं हाल खसरा नंबर 121/2.62 है0 पर लक्ष्मन, विजेन्द्र, राजाराम, महेश पुत्रगण अजमत, रमनसिंह पुत्र श्रीधर, मुरली, मवासी, गिर्राज पुत्रगण भवरी जाति जाटव, रघुनाथसिंह, भवरसिंह पुत्रगण देवीसिंह, महाराजसिंह पुत्र टोडी बगै० खातेदार दर्ज है, जिन्हे पक्षकार मुकददमा नहीं बनाया है। वादी ने सम्वत 2017–21, 2021–25, 2026–29 की नकल खसरा गिरदावरियों को पेश किया है। खसरा गिरदावरियां रिकॉर्ड आफ राईटस की श्रेणी में नहीं है। खसरा गिरदावरी की प्रविष्ठी अथवा गिरदावरी स्लिप के आधार पर वादी को खातेदारी अधिकार सृजित नही होते। गत खसरा नंबर 213/22, 26, 27, 36 रकवा 5 बीघा 07 बिस्वा ग्रांम चक एक्टा की हाल नकल जमाबंदी व नकल मिलान क्षेत्रफल को पेश नहीं किया गया है। ग्रांम चक अजान के हाल खसरा नंबर 121 पर जाटव जाति के व्यक्ति खांतेदार सह कृषक दर्ज है। उनके विरूद्ध वादीगण को किस प्रकार खातेदार अधिकार सृजित हो सकते हैं। दाखिला खारिज संख्या 91 व 726 वर्ष 1964 में स्वीकृत निर्णित किये गये। दाचा वादी दिनांक 03.08.89 को 25 वर्ष बाद पेश किया गया है। दावा करते समय बादी का आराजी पर कब्जा काश्त प्रमाणित नहीं है। इसके विपरीत प्रतिवादीगण दावा दायरी की तिथी से 25 वर्ष पूर्व तथा आज से 49 वर्ष पूर्व से भूमि के कब्जे में है। राजस्व अभिलेख में वादी अपना कब्जा सावित करने में असफल रहा है। खातेदारी अधिकार साबित करने हेतु लगान का भुगतान, कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का उपयोग, भूमि पर लगातार कब्जा स्थापित करना वादी के लिये आवश्यक है। खातेदारी अधिकार एक विधिक अधिकार है। किन्तु एक निरकुंश, अभिच्छेदय, अपरिवर्तनशील अथवा चिरस्थाई नहीं है। वादी किसी भी समय अपनी इच्छा से वाद पेश नहीं कर सकता। यह एक सशर्त अधिकार है। वादी ने नकल निर्णय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) संख्या 2 भरतपुर दिनांक 30.08.99 जिसकी डिक्री 12 वर्ष बाद दिनांक 31.10.12 को जारी हुयी है, के अनुसार स्टेट कोर्ट आफ वार्डस एक्ट 1931 के तहत कब्जे में ली गयी सम्पत्ति प्रदर्श–5 लगायत प्रदर्श–30 को वादी उदयभान प्रतिवादीगण से लेने के अधिकारी घोषित किये गये हैं। यदि वादग्रस्त आराजी उक्त आदेशिका सम्पत्ति में सम्मलित हो तो उक्त निर्णय / डिक्री के तहत वादीगण कोर्ट आफ वार्डस सम्पत्ति की आराजी के गत नंबरों के अनुरूप हाल खसरा नंबरो पर गत व हाल राजस्व अभिलेख रिकॉर्ड आफ राईटस की प्रतियों के साथ हाल राजस्व अभिलेख में अंकित खातेदारों के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कब्जा वापिसी व अधिकारों की घोषणा के लिये दावा लाने को स्वतंत्र है। यह तनकी विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 1 के संबंध में न्यायालय हाजा का निर्णय निम्न प्रकार है :–

इस तनकी के विवेचन में अधीनस्थ न्यायालय ने माना है कि वादी ने दावा गत खसरा नम्बरों से पेश किया है। प्रतिप्रेषण के बाद वादी को हाल सैटिलमेन्ट सम्वत 2043 में बने खसरा नम्बरों के आधार पर संशोधित दावा पेश करना चाहिए था जो उसके द्वारा पेश नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के विवेचन से सहमत होते हुए हमारा मत यह है

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

कि वादी को हाल खसरा नम्बरान के आधार पर ही दावा पेश करना चाहिए था ताकि वर्तमान में दर्ज खातेदारी के सम्बन्ध में भी स्थिति स्पष्ट हो सके। साथ ही वादी ने न तो सम्पूर्ण दस्तावेजात पेश किए हैं एवं न ही नकल जमाबन्दी संवत 2062–65 के अनुसार गत खसरा नम्बर 54 व अन्य से बने हाल खसरा नम्बर 117/2.43 हैक्टर खसरा नम्बर एवं 117/54 पर कुंवर सिंह पुत्र शिवचरन जाति गुजर एवं हाल खसरा नम्बर 121/2.62 जो गत खसरा नम्बर 58, 59, 60 से बना है के वर्तमान दर्ज खातेदार लक्ष्मण, विश्वेन्द्र, राजाराम, महेश पुत्रगण अजमत, रमन सिंह पुत्र श्रीधर, मुरली, मवासी, गिर्राज पुत्रगण भवरी जाति जाटव, रघुनाथ सिंह, भंवरसिंह पुत्रगण देवीसिंह महाराज सिंह पुत्र टोड़ी वगैरहा को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना भी विधिसम्मत है कि खसरा गिरदावरी अथवा गिरदावरी स्लिप के आधार पर वादी को खातेदारी अधिकार सृजित नहीं होते हैं। साथ ही ग्राम चक एक्टा के गत खसरा नम्बर 213/22, 26, 27, 36 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा की हाल जमाबन्दी व नकल मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में यह भी अंकित किया है कि दावा वादी दिनांक 03.08.1989 को 25 वर्ष बाद पेश किया गया है। इसके विपरीत प्रतिवादीगण दावा दायरी की तिथी से 25 वर्ष पूर्व तथा आज से 49 वर्ष पूर्व से भूमि के कब्जे में हैं तथा दावा के समय वादी का आराजी पर कब्जा काश्त प्रमाणित नहीं है। दाखिला खारिज सं. 91 व 726 वर्ष 1964 में स्वीकृत किये गये। वादी को खातेदारी अधिकार साबित करने के लिए लगान का भुगतान, कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का उपयोग आदि आवश्यक हैं तथा खातेदारी अधिकार एक विधिक अधिकार है। वादी द्वारा नकल निर्णय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 2 भरतपुर दिनांक 30.08.1999 जिसकी डिक्री 12 वर्ष बाद दिनांक 31.10.2012 को जारी हुई है, के अनुसार स्टेट कोर्ट ऑफ वाईस एक्ट 1931 के तहत कब्जे में ली गयी सम्पत्ति प्रदर्श–5 लगायत प्रदर्श–30 को वादी उदयभान प्रतिवादीगण से लेने के अधिकारी घोषित किये गये हैं। यदि वादग्रस्त आराजी उक्त आदेशिका सम्पत्ति में सम्मलित हो तो उक्त निर्णय व डिक्री के तहत वादीगण कोर्ट ऑफ वार्डस सम्पत्ति की आराजी के गत नम्बरों के अनुरुप हाल खसरा नम्बरों पर गत व हाल राजस्व अभिलेख के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अधिकारों की घोषणा के लिये दावा लाने को स्वतन्त्र है, जो विधिसम्मत है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तनकी के संबंध किए गए निर्णय से हम सहमत हैं।

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 2 के संबंध में निम्न निर्णय पारित किया है :–

तनकी संख्या 1 में पूर्ण विवेचना हो चुकी है। दाखिला खारिज संख्या 91 व 726 को वादीगण कब्जे के अभाव में इतने लम्बे अर्से के उपरान्त शून्य व निष्प्रभावी घोषित करा पाने के अधिकारी नहीं है। यह तनकी विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 2 के संबंध में न्यायालय हाजा का निर्णय निम्न प्रकार है :–

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 2 के संबंध में विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। जिससे हम सहमत हैं।

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 3 के संबंध में निम्न निर्णय पारित किया है :–

जहां वादीगण की वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी अधिकार ही प्रमाणित नहीं है। वहां वह वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा भी जारी करा पाने के अधिकारी नहीं है। यह तनकी भी विरूद्ध वादीगण निर्णित की जांती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

तनकी सं. 3 के संबंध में न्यायालय हाजा का निर्णय निम्न प्रकार है :–

अधीनस्थ न्यायलय द्वारा इस तनकी के विवेचन में विधिसम्मत रुप से सही निर्णय पारित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 4 के संबंध में निम्न निर्णय पारित किया है :–

दावा पेश करने की तिथी को वादी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त प्रमाणित नहीं है। तनकी संख्या 1 में इस बावत पूर्ण विवेचना हो चुकी है। दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। यह तनकी वाहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 4 के संबंध में न्यायालय हाजा का निर्णय निम्न प्रकार है :–

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी के संबंध में भी विधिसम्मत रुप से सही निर्णय पारित किया है।

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 5 के संबंध में निम्न निर्णय पारित किया है :–

तनकी संख्या 1 में इस बावत भी पूर्ण विवेचना हो चुकी है। खातेदारी अधिकार एक विधिक अधिकार है। किन्तु यह निरंकुश, अभिच्छेदय, अपरिवर्तनशील अथवा चिरस्थायी नहीं है तथा वादी किसी भी समय उसकी इच्छा से वाद पेश नहीं कर सकता। यह तनकी वाहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 5 के संबंध में न्यायालय हाजा का निर्णय निम्न प्रकार है :–

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तनकी का निर्णय भी विधिसम्मत रुप से सही पारित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 6 के संबंध में निम्न निर्णय पारित किया है :–

वादीगण किसी भी प्रकार का कोई अन्य अनुतोष प्राप्ति के अधिकारी नहीं है।

तनकी सं. 6 के संबंध में न्यायालय हाजा का निर्णय निम्न प्रकार है :–

इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति यह प्रकट होती है कि अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तनकीयों का विस्तृत विवेचन करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। जो विधिसम्मत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं पाया जाता है।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 20.01.2014 को यथावत रखा जाता है।
9. निर्णय आज दिनांक 08.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
10. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
11. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर